कार्यालय :-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार

पत्रांक : 01/यो0ब0–19/2018– 1188 दिनांक :– 21-09-2018

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल/चतरा उत्तरी वन प्रमंडल/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल/कोडरमा वन प्रमंडल/बोकारो वन प्रमंडल/धनबाद वन प्रमंडल/रामगढ़ वन प्रमंडल/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2024–25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट वृक्षारोपण (नदी के दोनो किनारे वृक्षारोपण) का अग्रिम कार्य के लिए कुल **रू0 1079.404 लाख (दस करोड़ उनासी लाख चालीस हजार चार सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–09/2018–16 व0प0 दिनांक–26.07.2018 एवं आवंटन आदेश संख्या–04/यो0 बजट–09/2018–59 व0प0 दिनांक–31.07.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–59–अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 रू0 1079.404 लाख (दस करोड़ उनासी लाख चालीस हजार चार सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789590103	422.593
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789590323	656.811
कुल :–		**1079.404**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2** एवं स्थल विवरणी **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या– 19S240601789590103 तथा 19S240601789590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–4** पर द्रष्टव्य है।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा, कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जाएगा तथा एतद् संबंधी–पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम संख्या–174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरुप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित विभाग के सक्षम स्तर से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया गया है। योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सिमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

16. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

17. स्वीकृत्यादेश में निहित समस्त दिशा–निर्देशों का ससमय अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाएगा।

18. नदी तट पर मुख्यतः स्थायी पौधशाला में उपलब्ध अर्जुन, सेमल, कदम, करंज, शीशम, जामुन, आम, बेल, बेर, इमली, पीपल, बरगद, नीम, सिरिस, जंगली जिलेबी गम्हार आदि के प्राकृतिक प्रजातियों के कम से कम 4 से 5 फीट औसत ऊँचाई के पौधे लगाये जायेंगे, जो वहाँ के मिट्टी एवं नमी के अनुरूप हो। इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–19/2018–** 1188 दिनांक– 21-09-18

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर/हजारीबाग/बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/चतरा/हजारीबाग/बोकारो/गिरिडीह/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–19/2018–** 1188 दिनांक– 21-09-18

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/हजारीबाग/चतरा/कोडरमा/बोकारो/धनबाद/रामगढ़/गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण (नदी के दोनो किनारे वृक्षारोपण) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 237.38 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (कि0मी0 में)	यूनिट कि संख्या (प्रति कि0मी0 10 यूनिट)	वित्तीय वर्ष 2018–19 (अग्रिम कार्य)		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	7.00	70.00	26.892	41.797	68.689
2	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	10.00	100.00	38.418	59.710	98.128
3	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	8.00	80.00	30.734	47.768	78.502
4	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	8.00	80.00	30.734	47.768	78.502
5	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	8.00	80.00	30.734	47.768	78.502
6	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	8.00	80.00	30.734	47.768	78.502
7	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	8.00	80.00	30.734	47.768	78.502
8	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	10.00	100.00	38.418	59.710	98.128
9	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	15.00	150.00	57.625	89.566	147.191
10	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	8.00	80.00	30.734	47.768	78.502
11	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	10.00	100.00	38.418	59.710	98.128
12	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	10.00	100.00	38.418	59.710	98.128
योग :–		**110.00**	**1100.00**	**422.593**	**656.811**	**1079.404**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\2018-19\Development\Sub-Allotment\RSP\SCSP\Advance Work\River Side Plantation\River Plantation

नदी तट पर वृक्षारोपण का अनुसूचित दर तालिका

पौधों की संख्या प्रति यूनिट	300		
पौधो की दूरी	2mx3m		
1 यूनिट का परिमाप	2000 m2	**100*20**	
1 यूनिट में घेरान की कुल लम्बाई	240m		
मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	237.38	रुपये	

क. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A	**वित्तीय वर्ष 2018–19 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 237.38**					
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्रति इकाई	0.6	142.43		142.43
2	घनी झाड़ी सफाई	प्रति इकाई	2	474.76		474.76
3	**घेरान कार्य**	प्रति इकाई	-			
3.1	आर0सी0सी0 पीलर 82 सं0 823.00 रू0 प्रति पीलर। पीलर का आकार 7' x 4" x 4" का निर्माण एवं 1' x 1' x 2' का गड्ढा में ढलाई कर लगाने का खर्च	प्रति इकाई	118	28010.84	39475.16	67486.00
3.2	कंटीला तार 4Point 2Ply 12swg, 15cm apart 64.32 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 225 kg	प्रति इकाई	0.00	0.00	14472.00	14472.00
3.3	कंटीलातार को खींचने, सीधा करने, स्थेल इत्यादि लगाने का कार्य सहित।	प्रति इकाई	5.93	1407.66		1407.66
3.4	आर0सी0सी0 पीलर एवं कंटीलेतार की कार्य स्थल तक ढुलाई 15% of (3.1+3.2)	प्रति इकाई	27.51	6530.32	5763.38	12293.70
4	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.) 0.027 क्यू0 मी0 967 पीट प्रति हे0 (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	प्रति इकाई	6.60	1566.71	0.00	1566.71
5	मृदा एवं जल संरक्षण–गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डैम/कंटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	प्रति इकाई	1.20	284.86	0.00	284.86
	कुलः–		**161.84**	**38417.58**	**59710.54**	**98128.12**
B	**वित्तीय वर्ष 2019–20 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 273.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2018–19 को आधार मानते हुए**					
1	पौधों का क्रय ढुलाई सहित 360	10 रू0 प्रति	0	0.00	3600.00	3600.00
2	वृक्षारोपण	प्रति इकाई	6.6	1801.80	0.00	1801.80
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	प्रति इकाई	7.50	2047.50	0.00	2047.50
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	18.00	4914.00		4914.00
5	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	472.13	472.13
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	प्रति इकाई		0.00	500.00	500.00
	कुलः–		**32**	**8763.30**	**4572.13**	**13335.43**
C	**वित्तीय वर्ष 2020–21 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 314.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2019–20 को आधार मानते हुए**					
1	एक कोड़नी–निकौनी	प्रति इकाई	4.2	1318.80	0.00	1318.80
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/उरिया, जैविक किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	661.40	661.40
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	7536.00	0.00	7536.00
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.20	376.80	275.00	651.80
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (@10%) 100 Plant	प्रति इकाई	0.62	194.68	100.00	294.68
6	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	13.64	4282.96	0.00	4282.96
	कुलः–		**43.66**	**13709.24**	**1036.40**	**14745.64**

D:\2018-19\Development\Sub-Allotment\RSP\TSP\Advance Work\River Side Plantation\Rate meeting 20.06.2018

क्र. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
D	**वित्तीय वर्ष 2021–22 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 361.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020–21 को आधार मानते हुए**					
1	एक कोड़नी–निकौनी	प्रति इकाई	4.2	1516.20		1516.20
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	204.90	204.90
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	8664.00	0.00	8664.00
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.2	433.20	275.00	708.20
5	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	13.64	4924.04		4924.04
	कुलः–		**43.04**	**15537.44**	**479.90**	**16017.34**
E	**वित्तीय वर्ष 2022–23 में संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 415.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए**					
1	एक कोड़नी–निकौनी	प्रति इकाई	4.2	1743.00		1743.00
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	204.90	204.90
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	4980.00		4980.00
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.20	498.00	275.00	773.00
	कुलः–		**17.4**	**7221.00**	**479.90**	**7700.90**
F	**वित्तीय वर्ष 2023–24 में संपोषण कार्य (षष्टम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 477.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022–23 को आधार मानते हुए**					
1	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	5724.00		5724.00
	कुलः–		**12**	**5724.00**	**0.00**	**5724.00**
G	**वित्तीय वर्ष 2024–25 में संपोषण कार्य (सप्तम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 549.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2023–24 को आधार मानते हुए**					
1	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	6588.00		6588.00
	कुलः–		**12**	**6588.00**	**0.00**	**6588.00**
	सकल योगः–		**322.040**	**95960.56**	**66278.87**	**162239.43**

नोट (1) कंटीले तार का क्रय **GeM** द्वारा अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की समिति की अनुशंसित दर पर किया जाएगा (जो न्यूनतम हो)।

(2) प्रत्येक ब्लॉक के बीच सुगम आवगमन हेतु कुछ अंतर रखा जाए, ताकि आदमी एवं जानवर का आवागमण हो सके। व्यवहारिक रुप से 10 ब्लॉक को 1 कि0 मी0 माना जा सकता है।

(3) स्थल पर उपलब्ध भूमि के आकार एवम् लगाए जाने वाले पौधों की संख्या के अनुसार क्रमांक (A) से क्रमांक (E) तक कार्यों की दर को **Pro-rata** आधार पर स्थल – विशिष्ट प्राक्कलन पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात व्यय किया जाएगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण (नदी के दोनो किनारे वृक्षारोपण) का स्थल विवरणी

क्र० सं०	प्रमण्डल का नाम	वित्तीय वर्ष 2018–19		
		प्रक्षेत्र का नाम	स्थल का नाम	रकबा (कि०मी०में)
1	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल	गढ़वा	युरिया नदी (डडई से जुटी)	4
		नगर	गोइठा नदी (घोडपाथर से कदवा)	3
		योग :–		**7**
2	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल	रंका पूर्वी	कनहर (अनहर बान्दु)	5
		रंका पश्चिमी	कनहर (करमाखुरी)	5
		योग :–		**10**
3	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल			8
		योग :–		**8**
4	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल	हजारीबाग वनरोपण प्रक्षेत्र	बरही नदी	4
		बरही प्रक्षेत्र		4
		योग :–		**8**
5	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल	हंटरगंज प्रक्षेत्र	लीलाजन (फल्गु) नदी तट पर वृक्षारोपण (बोड़ा मोड़ से कनगुरुआ/जोरी से बंडाटांड	5
		राजपुर प्रक्षेत्र	महाने नदी तट पर वृक्षारोपण आमीन से बीरेखाप	3
		योग :–		**8**
6	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल	चौपारण वनरोपण	नरचाही से पीपरा	5
		लावालौंग प्रक्षेत्र	तेतरचक–बानागांज से मलकडीहा	3
		योग :–		**8**
7	कोडरमा वन प्रमंडल	सतगांवा वन प्रक्षेत्र	सकरी नदी के किनारे ग्राम शिपुर से पोखरडीहा तक	8
		योग :–		**8**
8	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	बोकारो	भवानी स पोटसो (बरद दाहा नदी)	5
		तेनुघाट	तेनेघाट से कधारा (दमोदर नदी)	5
		योग :–		**10**

क्र० सं०	प्रमण्डल का नाम	वित्तीय वर्ष 2018–19		
		प्रक्षेत्र का नाम	स्थल का नाम	रकबा (कि०मी०में)
9	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	शहरी वानिकी प्रक्षेत्र, धनबाद	गेगना से सिजुआ (बराकर नदी)	10
		टुण्डी	सर्रा से टकीपुर (बराकर नदी)	2.5
		तोपचाँची	खानुडीह से दग्धो (जमुनिया नदी)	2.5
योग :–				**15**
10	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	पतरातु	दामोदर नदी किनारे टोकीसूद से बरकाकाना	8
		माण्डू	दुधी नदी	
योग :–				**8**
11	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	गिरिडीह प्रक्षेत्र	बराकर नदी	7
		गावां प्रक्षेत्र	सकरी नदी	3
योग :–				**10**
12	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र	प्राचीडीह से बेहराबाद (उसरी नदी)	5.0
		धनवार वनरोपण प्रक्षेत्र	सपामारन से कोरियाडीह (ईरगा नदी)	5.0
योग :–				**10**
सकल योग :–				**110**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-19/2018/1188 दिनांक - 21-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57746	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	2,689,200.00 रुपये छब्बीस लाख नवासी हजार दो सौ
2	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57747	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	3,841,800.00 रुपये अडतीस लाख इकतालीस हजार आठ सौ
3	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57748	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICER EAST	3,073,400.00 रुपये तीस लाख तीहत्तर हजार चार सौ

योग: 9,604,400.00

क्रमिक योग: रुपये छयानवे लाख चार हजार चार सौ

(SHRI SATNAM SINGH

PCCF.D(BAJHARKHAND)RANCHI

Run Date: 21/9/2018

पत्र संख्या - 01/YB-19/2018/1188 दिनांक - 21-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57749	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	3,073,400.00 रुपये तीस लाख तीहत्तर हजार चार सौ
5	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57750	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	3,073,400.00 रुपये तीस लाख तीहत्तर हजार चार सौ
6	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57751	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	3,073,400.00 रुपये तीस लाख तीहत्तर हजार चार सौ

योग: 9,220,200.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड अटयासी लाख चौइस हजार छः सौ 18,824,600.00

(SHRI SAT[illegible]AM SINGH)

PCCF.DE[illegible])RANCHI

 10.2.252.250 36 [illegible]

पत्र संख्या -	01/YB-19/2018/1188	दिनांक -	21-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57752	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	3,073,400.00 रुपये तीस लाख तीहत्तर हजार चार सौ
8	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57753	BKRFOR001 P.R. NAIDU D.F.O. BOKARO	3,841,800.00 रुपये अडतीस लाख इकतालीस हजार आठ सौ
9	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57754	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	5,762,500.00 रुपये सत्तावन लाख बासठ हजार पाँच सौ

योग: 12,677,700.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड पंद्रह लाख दो हजार तीन सौ 31,502,300.00

(SHRI SA[illegible] SINGH)

PCCF.DE[illegible])RANCHI

Run Date : [illegible]

पत्र संख्या - 01/YB-19/2018/1188 **दिनांक -** 21-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57755	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	3,073,400.00 रुपये तीस लाख तीहत्तर हजार चार सौ
11	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57756	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	3,841,800.00 रुपये अडतीस लाख इकतालीस हजार आठ सौ
12	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57757	GRDFOR003 SRI SATYAM KUMAR D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	3,841,800.00 रुपये अडतीस लाख इकतालीस हजार आठ सौ

योग: 10,757,000.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड बाइस लाख उनसठ हजार तीन सौ 42,259,300.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.D[illegible])RANCHI

 [illegible]250.36 [illegible]

पत्र संख्या - 01/YB-19/2018/1188 दिनांक - 21-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस मं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57758	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	4,179,700.00 रुपये इकतालीस लाख उन्नासी हजार सात सौ
14	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57759	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	5,971,000.00 रुपये उनसठ लाख इकहत्तर हजार
15	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57760	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	4,776,800.00 रुपये सैतालीस लाख छहत्तर हजार आठ सौ

योग: 14,927,500.00

क्रमिक योग: रुपये पाँच करोड इकहत्तर लाख छियासी हजार आठ सौ 57,186,800.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.D[illegible]RANCHI

122.252.250.36

[redacted]

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57761	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	4,776,800.00 रुपये सैतालीस लाख छहत्तर हजार आठ सौ
17	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57762	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	4,776,800.00 रुपये सैतालीस लाख छहत्तर हजार आठ सौ
18	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57763	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	4,776,800.00 रुपये सैतालीस लाख छहत्तर हजार आठ सौ

योग: 14,330,400.00

क्रमिक योग: रुपये सात करोड पंद्रह लाख स त्र ह हजार दो सौ 71,517,200.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.D(BADHAWAHAN)RANCHI

 [redacted]

पत्र संख्या - 01/YB-19/2018/1188 दिनांक - 21-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57764	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	4,776,800.00 रुपये सैतालीस लाख छहत्तर हजार आठ सौ
20	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57765	BKRFOR001 P.R. NAIDU D.F.O. BOKARO	5,971,000.00 रुपये उनसठ लाख इकहत्तर हजार
21	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57766	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	8,956,600.00 रुपये नवासी लाख छप्पन हजार छ: सौ

योग: 19,704,400.00

क्रमिक योग: रुपये नौ करोड बारह लाख इक्कीस हजार छ: सौ 91,221,600.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.D...)RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-19/2018/1188 दिनांक - 21-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57767	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	4,776,800.00 रुपये सैतालीस लाख छहत्तर हजार आठ सौ
23	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57768	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	5,971,000.00 रुपये उनसठ लाख इकहत्तर हजार
24	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57769	GRDFOR003 SRI SATYAM KUMAR D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	5,971,000.00 रुपये उनसठ लाख इकहत्तर हजार

योग: 16,718,800.00

क्रमिक योग: रुपये दस करोड उन्नासी लाख चालीस हजार चार सौ 107,940,400.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF,DEVELOPMENT,RANCHI

Gen.Date : 21/9/2018